न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 31/2021
GCMS NO. : 2021/56

-: वादी :-

मांगीलाल पुत्र लाबुराम जाति- गुर्जर, निवासी- आसरलाई, तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. शिवराम पुत्र मोडा
2. रतना पुत्र मोडा
3. सूजाराम पुत्र हरजीराम
4. पूनाराम पुत्र हरजीराम
5. पूसाराम पुत्र हरजीराम
6. चिमनाराम पुत्र हरजीराम
7. ओगड़राम पुत्र हरजीराम
8. चम्पादेवी पुत्री हरजीराम
9. भंवरी देवी पत्नी हरजीराम जाति गुर्जर निवासीगण आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली।
10. तहसीलदार, जैतारण।
11. दाकूदेवी पुत्री लाबुराम गुर्जर निवासी धाकला, मोहराई।
12. गुटी देवी पुत्री लाबुराम गुर्जर निवासी आनन्दपुर कालू।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजू:.09/03/2021

उपस्थितः- 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री चंदनसिंह गोयल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 27/06/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आसरलाई में वादी व प्रतिवादीगण एवं अन्य सहखातेदारान की शामलाति पैतृक पुश्तैनी खातेदार कब्जे काश्त की जमीन निम्नलिखित खसरान की आई हुई है- खाता संख्या 665- खसरा संख्या 624 रकबा 45-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा संख्या 625 रकबा 43-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, उपरोक्त आराजी वादी के पैतृक पुश्तैनी होने से वादी के पिता लाबूराम मोडा का स्वर्गवास होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 999 भरा गया उस समय सहवन से वादी का नाम मांगीलाल की जगह मांगू पुत्र लाबू गलत नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

। उक्त आराजी की जमाबंदी की नकल दावा के साथ पेश है जिसे दावा का एक ावश्यक भाग माना जावे। खाता संख्या 21- खसरा संख्या 770 रकबा 17-05 ीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 771 रकबा 17-02 बीघा किस्म चाही ोयम, खसरा संख्या 772 रकबा 04-19 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या '73 रकबा 05-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 774 रकबा 51-19 ीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 775 रकबा 36-03 बीघा किस्म चाही ोयम, खसरा संख्या 776 रकबा 04-15 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 777 रकबा 28-02 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 778 रकबा 00-12 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 779 रकबा 02-03 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 780 रकबा 01-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 781 रकबा 01-07 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 782 रकबा 00-05 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 783 रकबा 01-02 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 784 रकबा 16-12 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा संख्या 15 कुल रकबा 188-06 बीघा, उपरोक्त वादी के पैतृक पुश्तैनी होने से वादी के पिता लालू पुत्र मोडा का स्वर्गवास होने पर फौतेदगी म्युटेशन संख्या 998 भरा गया उस समय सहवन से वादी मांगीलाल की जगह मांगू पुत्र लालु गलत नाम दर्ज कर दिया, वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र लालूराम है। जबकि वादी का सही नाम मांगीलाल है। उक्त आराजी की जमाबंदी की नकल दावा के साथ पेश है जिसे दावा का एक भाग माना जावे। एवं इसी प्रकार वादी के नाम कृषि भूमि खसरा संख्या 560/1 रकबा 07-08 बीघा के राजस्व रेकर्ड में मांगूराम पुत्र लाबूराम दर्ज है जो सहवन से मांगीलाल पुत्र लाबूराम के स्थान पर ही है जिसका सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। खाता संख्या- 428 खसरा संख्या 533 रकबा 19-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, उपरोक्त आराजी वादी के पैतृक पुश्तैनी होने से वादी के दादा मोडू उर्फ मोती का स्वर्गवास होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 197 दिनांक 24.05.1969 को भरा गया उस समय जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में मोडू के वारिस लाबू, श्रीराम, रतना पिसरान मोडा 1/3 दर्ज किया गया जो जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 तक राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज रहा उसके नई जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 बनाते समय वक्त लाबू पुत्र मोडा का नाम सहवन से यानि सिलिप ऑफ पैन से दर्ज होना रह गया इसलिए जरिए दुरुस्ती के खसरा संख्या 553 में श्रीराम, रतना के साथ लाबू पुत्र मोडा का दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अब लाबू फौत होने से लाबू के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी में वादी का नाम मांगीलाल पुत्र लाबुराम की जगह राजस्व रेकर्ड के तीनो खातो में अलग अलग जैसे मांगूराम पुत्र लाबूराम, मांगील[illegible] पुत्र लाबू दर्ज होने से वादी अपनी खातेदारी जमीन पर बैंक से ऋण [illegible] ल[illegible]कता है। इसलिए वादी का सही नाम राजस्व रेकर्ड में भी मांगी[illegible] जावे। इसके समर्थन में वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, बिजली का बिल, आबादी भूमि का पट्टा, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, जोब कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस सभी दस्तावेज में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ांगीलाल पुत्र लाबुराम दर्ज है इसलिए राजस्व रेकर्ड में जरिए दुरूस्ती के सही/शुद्धि क्या जाना आवश्यक है। वादी काश्तकार है वादी द्वारा जब किसान क्रेडिट कार्ड बनाने 5 लिए राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो वादी को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि वादी ांगीलाल के नाम के स्थान पर मांगूराम पुत्र लाबू, मांगू पुत्र लाबू, मांगीलाल पुत्र ालू राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो गया है। जिसको जरिए दुरूस्ती के उक्त तीनो ब्रातो के राजस्व रेकर्ड में उक्त स्थानो पर मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जाना यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा समय समय पर प्रशासन गांवो के संग अभियान व तहसील कार्यालय में निवेदन किया कि मेरा सही नाम दर्ज किया जावे लेकिन आज दिन तक वादी का नाम मांगीलाल पुत्र लाबुराम दर्ज नहीं हुआ इसलिए श्रीमान के समक्ष दावा घोषणा व दुरूस्ती रेकर्ड पेश किया जा रहा हैं वादी का बिनाय दावा दिनांक 12.01.2021 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गलत दर्ज का सर्वप्रथम ज्ञात होने पर बमुकाम आसरलाई व जैतारण में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है व वाद अंदर म्याद पेश हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 तथा 11 व 12 ने वकालतनामा पेश किया, जो सा.मि. है। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 जवाब पेश नही करना चाहते है अतः जवाब अवसर बंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 तथा 11 से 12 ने राजीनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाति कृषि भूमि ग्राम आसरलाई के खसरा संख्या 624 व 625 कुल रकबा 88-16 बीघा तथा ग्राम धारानगरी के खसरा संख्या 770 से 784 कुल रकबा 188-06 बीघा में क्रमशः नामान्तरण संख्या 999 व 998 के मांगू पुत्र लाबू एवं मांगू पुत्र लालू "खातेदार लाबू पुत्र मोडा व लालु पुत्र मोडा" के स्वर्गवास होने पर नामान्तरण भरा गया। मजमे आम प्रशासन गांवो के संग अभियान बमुकाम आसरलाई दिनांक 11.11.2021 को विस्तृत जांच रुबरू वादी एवं अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में करने पर पाया गया है कि वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम मृतक खातेदार लाबू/लालु के जाईन्दा पुत्र नही है। मांगीलाल सहखातेदार "शिवराम पुत्र मोडा" के जाईन्दा पुत्र है। लाबू/लालु के मात्र दो जाईन्दा पुत्रियां "दाकुदेवी व गुटकीदेवी " जीवित मौजूद है तथा पत्नी का स्वर्गवास हो चूका है। मजमें आम में कुछ लोगो ने मांगीलाल के लाबु/लालू के मौखिक रूप से गोद जाना बताया परन्तु मांगीलाल को पूछताछ करने पर उनके पास गोद जाने संबंधी कोई विधिसम्मत दस्तावेज नही होना पाया गया तथा लिखित साक्ष्य दस्तावेज होने से इंकार किया। अतः उपरोक्तानुसार खातेदार लाबू/लालु के विरासत का नामान्तरण जाईन्दा [illegible] मांगू/मांगीलाल के नाम से भरा गया, जो नियम विरूद्ध भरा जाने से प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। जाईन्दा पुत्रियो दाकूदेवी व गुटकी देवी का नाम दर्ज [illegible] जाना अपेक्षित/उचित प्रतीत होता है। ग्राम आसरलाई के खसरा संख्या 553 रकबा 19-16 बीघा में जरिए नामान्तरण संख्या 197/23.05.1971 मोडू पुत्र मोती 1/3 हिस्सा फौत होने पर लाबू, श्रीराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ाना पिसरान मोड़ू के नाम से अमल दरामद किया गया, स्वीकृत हुआ है। तत्पश्चात वत् 2037 से 2040 की खतौनी तैयार करते समय लाबू का नाम सेवन से रह या/हट गया है। अतः उपरोक्त नामान्तरण संख्या 197 में दर्ज ''लाबू'' के स्थान पर र्तमान में लाबू पुत्र मोड़ू उर्फ मोडा पुनः दर्ज किया जाना उचित है तथा लाबू पुत्र ोडा के स्थान पर ''लाबू'' की जाईन्दा पुत्रियां दाकुदेवी व गुट्कीदेवी का नाम दर्ज केया जाना उचित/अपेक्षित है। पत्नी फौत हो चूकी है। अतः इस प्रकार वादी द्वारा ायर वाद विधिसम्मत नही होने से वादी मांगीलाल को राहत दिया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का विवाद्यकवार/तनकीयातवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1.आया वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी होने से वादी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम आसरलाई में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 665- खसरा संख्या 624 रकबा 45-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा संख्या 625 रकबा 43-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, के खातेदार वादी के पिता लाबु पुत्र मोडा की मृत्यु होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 999 द्वारा वादी का नाम मांगू पुत्र लाबु दर्ज किया जो की गलत है, जबकि वादी का सही नाम मांगीलाल है। इसी प्रकार खाता संख्या 21 खसरा संख्या 770 रकबा 17-05 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 771 रकबा 17-02 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 772 रकबा 04-19 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 773 रकबा 05-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 774 रकबा 51-19 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 775 रकबा 36-03 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 776 रकबा 04-15 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 777 रकबा 28-02 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 778 रकबा 00-12 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 779 रकबा 02-03 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 780 रकबा 01-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 781 रकबा 01-07 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 782 रकबा 00-05 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 78[illegible] रकबा 01-02 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 784 रकबा [illegible] बीघा [illegible] सोयम कुल खसरा संख्या 15 कुल रकबा 188-06 बीघा के सहखातेदार वादी के पिता लालू पुत्र मोडा के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 998 द्वारा वादी का नाम मांगीलाल की जगह मांगू पुत्र लालू दर्ज कर दिया गया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र लालूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला-पाली

। इसी प्रकार खसरा संख्या 560/1 रकबा 07–08 बीघा के राजस्व रेकर्ड में ांगूराम पुत्र लाबूराम दर्ज है जो कि गलत है। इसी प्रकार खसरा संख्या 553 रकबा 9–16 बीघा में खातेदार एवं वादी के दादा मोडू उर्फ मोती की मृत्यु पर फौतेदगी ामान्तरण संख्या 197 दिनांक 24.05.1969 से मोडू के वारिसान के रूप में लाबू, ोराम, रतना पिसरान मोडा हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया लेकिन जमाबन्दी सम्वत् :037 से 2040 बनाते वक्त लाबु पुत्र मोडा का नाम सेवन से छूट गया तथा लाबू ौत हो चुके है। अतः वर्तमान मांगीलाल पुत्र लाबुराम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है के वादी मांगीलाल के पिता लाबूराम व प्रतिवादी संख्या एक व दो के सगे भाई है। खाता संख्या 21 में मांगू पुत्र लाबू सहवन से दर्ज हुआ है जबकि इसका सही नाम मांगीलाल है, इसी प्रकार खसरा संख्या 560/1 में मांगूराम पुत्र लाबुराम गलत दर्ज है तथा खसरा संख्या 553 में जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक रेकर्ड में लाबु, श्रीराम, रतना पिसरान मोडा दर्ज रहा जो जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में विलोपित हो गया, अतः अब मांगीलाल पुत्र लाबूराम का नाम दर्ज किया जावें तथा वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 11 व 12 जो कि वादी मांगीलाल के पिता लाबुराम की पुत्रीयां है, ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता लाबु पुत्र मोडा का स्वर्गवास होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 999 भरा गया जिसमें सहवन से मांगीलाल की जगह मांगू पुत्र लाबू, खसरा संख्या 560/1 में मांगूराम पुत्र लाबूराम, तथा खाता संख्या 21 में मांगू पुत्र लाबू दर्ज हुआ तथा खसरा संख्या 553 में जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक रेकर्ड में लाबु, श्रीराम, रतना पिसरान मोडा दर्ज रहा जो जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में विलोपित हो गया। मांगू व मांगीलाल एक ही व्यक्ति है, अतः वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा में वादपत्र का खण्डन करते हुये कथन किया है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान बमुकाम आसरलाई मजमे आम में विस्तृत जांच करनें पर पाया गया कि वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम मृतक खातेदार लाबू का जायन्दा पुत्र नहीं है। मांगीलाल सहखातेदार शिवराम पुत्र मोडा का जायन्दा पुत्र है, लाबु/लालू के मात्र दो जायन्दा पुत्रियां दाखुदेवी एवं गुट्की देवी है तथा पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। ग्राम आसरलाई के खसरा नम्बर 553 में जरिये नामान्तरण संख्या 197 दिनांक 23.05.1971 को मोडू के फौत होने पर लाबु, श्रीराम, रतना पिसरान मोडू [illegible] तत्पश्चात् सम्वत् 2037 से 2040 की खतौनी तहरीर करते समय लाबु का [illegible] वन से छूट गया, अतः लाबु पुत्र मोडू उर्फ मोडा पुनः दर्ज किया जाना उचित [illegible] लाबू पुत्र मोडा के स्थान पर लाबू की जायन्दा पुत्रियां दाखुदेवी व गुट्की दे[illegible] का नाम दर्ज किया जाना आपेक्षित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में स्वयं का शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत कर
पत्र में अंकित कथनों एंव तथ्यों का समर्थन करते हुये दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये।
र्श-1 ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020, प्रदर्श-2 ग्राम
सरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2025, प्रदर्श-3 ग्राम आसरलाई की
माबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 में खसरा संख्या 553 में मोडू पुत्र मोती हिस्सा
/3 कौम गुर्जर बतौर सहखातेदार दर्ज है, प्रदर्श-4 ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी
म्वत् 2033 से 2036 में खसरा नम्बर 553 की जमाबन्दी में लाबू, श्रीराम रतना
0 मोडा हि. 1/3 बतौर सहखातेदार दर्ज हैं, वहीं आगामी जमाबन्दी प्रदर्श-5 ग्राम
ासरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में लाबू का नाम विलोपित कर
ेया गया जो आगे भी बदस्तुर जारी रहा, प्रदर्श-6 ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी
म्वत् 2040 से 2049, प्रदर्श-7 ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2050 से
2053, प्रदर्श-8 ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में खसरा
संख्या 553 में श्रीराम, रतना पिसरान मोडा हि. 1/3 कौम गुर्जर बतौर सह खातेदार
दर्ज है। प्रदर्श-9ए वादी मांगीलाल की बैंक खाता पासबुक, प्रदर्श-10ए वादी का
परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श-11ए वादी मांगीलाल का आधार कार्ड, प्रदर्श-12ए वादी का
ड्राईविंग लाईसेन्स, प्रदर्श-13ए वादी मांगीलाल का आयकर विभाग द्वारा जारी पैन
कार्ड में मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज है, प्रदर्श-14ए ग्राम पंचायत आसरलाई द्वारा
दिनांक 11.10.1984 को लाबूराम, सीवराम, रतनाराम पि0 मोडाराम के नाम जारी
पट्टा विलेख, प्रदर्श-15ए वादी मांगीलाल के परिवार जॉब कार्ड, प्रदर्श-16ए जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम के नाम से जारी
विद्युत कनेक्शन बिल, प्रदर्श-17ए लाबुराम का मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रदर्श-18 ग्राम
आसरलाई के खसरा संख्या 770 से 784 की आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077
में मांगू पुत्र लालू बतौर सहखातेदार दर्ज है, प्रदर्श-19 ग्राम आसरलाई के खसरा
नम्बर 624 व 625 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में मांगीलाल पुत्र लाबूराम बतौर
सहखातेदार दर्ज है, प्रदर्श-20 ग्राम आसरलाई के खसरा नम्बर 553 की जमाबन्दी
सम्वत् 2077 में रतनाराम पुत्र मोडाराम तथा श्रीराम पुत्र मोडा बतौर सहखातेदार
दर्ज है लेकिन लाबू पुत्र मोडा का नाम दर्ज नहीं है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मोडू पुत्र मोती कौम गुर्जर हिस्सा 1/3 की खातेदारी भूमि थी, मोडू की मृत्यु के उपरांत मोडू के स्थान पर लाबू, श्रीराम, रतनाराम पिसरान मोडा दर्ज किये गये लेकिन खसरा संख्या 553 की जमाबन्दी सम्वत् 2036-2040 में लाबू का नाम अनाधिकृत रूप से विलोपित कर [illegible] जो वर्तमान भू अभिलेख में भी विलोपित है। लाबू के केवल [illegible] 12 क्रमशः दाकुदेवी व गुटी देवी है। लाबू की प[illegible]। तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट अनुसार वादी मांगीलाल शिवराम पुत्र मोडा [illegible] जाइन्दा पुत्र है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत एवं प्रदर्श दस्तावेजात् में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ंगीलाल लाबूराम का पुत्र होना अंकित है। ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी सम्वत्)77 के खसरा नम्बर 624 व 625 में मांगीलाल पुत्र लाबूराम बतौर सहखातेदार f है वहीं खसरा संख्या 770 से 784 की आराजी में मांगू पुत्र लालू दर्ज है, चुंकि स्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि मोडू उर्फ मोडा के पुत्र का नाम लाबू जो कि लाबूराम । है न की लादू या लालू अतः लादू और लालू के नाम की प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण है। तक खातेदार लाबू उर्फ लाबूराम के जाईन्दा पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 11 व 12 करण में वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त ाराजी के राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र लाबूराम का नाम दर्ज किया जाता है तो तिवादी संख्या 11 व 12 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। अतः हमारे विनम्र ाभिमत में प्रकरण में उपलब्ध एवं प्रदर्श दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त ाराजी लाबू पुत्र मोडा की थी तथा लाबू की जाइन्दा पुत्रीयों प्रतिवादीया संख्या 11 ा 12 द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत करने तथा वादपत्र में अंकित कथनों ्वं तथ्यों का समर्थन करने तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में वादी के पिता का ाम लाबूराम अंकित होने से वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी आराजी होना भलीभांति साबित होता हैं। वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम मांगीलाल पुत्र लाबूराम तथा वादी के पिता का सही एवं दस्तावेजी नाम लालू तथा लादू और लाबू के स्थान पर लाबूराम होना साबित होता है। अतः वादी ग्राम आसरलाई में स्थित वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 770 से 784 के भू अभिलेख में दर्ज वादी का त्रुटिपूर्ण नाम मांगू पुत्र लालू को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जाना तथा ग्राम आसरलाई के खसरा संख्या 560/1 के भू अभिलेख में दर्ज वादी का त्रुटिपूर्ण नाम मांगूराम पुत्र लाबूराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जाना तथा ग्राम आसरलाई की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 553 में चुंकि लाबू, श्रीराम, रतनाराम पिसरान मोडा का 1/3 हिस्सा निहित था जिससे प्रत्येक सहखातेदार वारिसान का हिस्सा 1/9 – 1/9 आता है, अतः वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम को उक्त खसरा की आराजी में 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना तथा खाते में पूर्व से दर्ज सहखातेदार श्रीराम पुत्र मोडा व रतनाराम पुत्र मोडाराम प्रत्येक का दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्सा 1/6 – 1/6 को संशोधित करते इनके स्थान पर सही हिस्सा प्रत्येक का 1/9 – 1/9 दर्ज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसका वादी अधिकारी है। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित होने से वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. आया खसरा संख्या 553 में सहवन [illegible] खातेदार का नाम रोंग एंट्री से दर्ज किया गया। जिसे वादी द्वारा [illegible] दस्तावेजात [illegible] सुधार किया जाने की डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी है? जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मदारी वादी की है। वादी द्वारा वादपत्र कथन किया है कि ग्राम आसरलाई में स्थित वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 53 रकबा 19-16 बीघा में खातेदार एवं वादी के दादा मोडू उर्फ मोती की मृत्यु रांत फौतेदगी नामान्तरण संख्या 197 दिनांक 24.05.1969 से मोडू के वारिसान रूप में लाबू, श्रीराम, रतना पिसरान मोडा हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया लेकिन माबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 बनाते वक्त लाबु पुत्र मोडा का नाम सेवन से ह गया तथा लाबू फौत हो चुके है, अतः वर्तमान मांगीलाल पुत्र लाबुराम दर्ज किया ाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ादी मांगीलाल के पिता लाबूराम व प्रतिवादी संख्या एक व दो के सगे भाई है। ग्राम आसरलाई की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 553 में जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक रेकर्ड में लाबु, श्रीराम, रतना पिसरान मोडा दर्ज रहा जो जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 बनाते वक्त लाबू का विलोपित हो गया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2077 में भी रतनाराम पुत्र मोडाराम तथा श्रीराम पुत्र मोडा बतौर सहखातेदार दर्ज है लेकिन लाबू पुत्र मोडा का नाम दर्ज नहीं है। लाबू उर्फ लाबूराम फौत हो चुके है, अतः अब मांगीलाल पुत्र लाबूराम का नाम दर्ज किया जावें तथा वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 11 व 12 जो कि वादी मांगीलाल के पिता लाबुराम की पुत्रीयां है, ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व रेकर्ड में से खसरा संख्या 553 में जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक रेकर्ड मोडू उर्फ मोडा के वारिसान के रूप में लाबु, श्रीराम, रतना पिसरान मोडा दर्ज रहा लेकिन नई जमाबन्दी सम्वत् 2037-2040 तैयार करते समय सहवन से विलोपित हो गया, जो वर्तमान भू राजस्व अभिलेख में भी विलोपित है। लाबू उर्फ लाबूराम फौत हो चुके है, अतः मांगीलाल पुत्र लाबूराम का दर्ज किया जावें तथा अतः वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा में वादपत्र का खण्डन करते हुये कथन किया है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान बमुकाम आसरलाई मजमे आम में विस्तृत जांच करनें पर पाया गया कि वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम मृतक खातेदार लाबू का जायन्दा पुत्र नहीं है। मांगीलाल सहखातेदार शिवराम पुत्र मोडा का जायन्दा पुत्र है, लाबु/लालू के मात्र दो जायन्दा पुत्रियां दाखुदेवी एवं गुट्की देवी है तथा पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। ग्राम आसरलाई के खसरा नम्बर 553 में जरिये नामान्तरण संख्या 197 दिनांक 23.05.1971 को मोडू के फौत होने पर लाबु, श्रीराम, रतना पिसरान मोडू दर्ज किया ग[illegible]ात् सम्वत् 2037 से 2040 की खतौनी तहरीर करते समय लाबु [illegible] गया, अतः लाबु पुत्र मोडू उर्फ मोडा पुनः दंर्ज किया जाना उचित है तथा लाबू पुत्र मोडा के स्थान पर लाबू की जायन्दा पुत्रियां दाखुदेवी व गुट्की देवी का नाम दर्ज किया जाना आपेक्षित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में स्वयं का शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत कर ापत्र में अंकित कथनों एंव तथ्यों का समर्थन करते हुये दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये। र्श–1 ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020,प्रदर्श–2 ग्राम सरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2025, प्रदर्श–3 ग्राम आसरलाई की माबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 में खसरा संख्या 553 में मोडू पुत्र मोती हिस्सा /3 कौम गुर्जर बतौर सहखातेदार दर्ज है, प्रदर्श–4 ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी म्वत् 2033 से 2036 में खसरा नम्बर 553 की जमाबन्दी में लाबू, श्रीराम रतना 0 मोडा हि. 1/3 बतौर सहखातेदार दर्ज हैं, वहीं आगामी जमाबन्दी प्रदर्श–5 ग्राम ासरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में लाबू का नाम विलोपित कर या गया जो आगे भी बदस्तुर जारी रहा, प्रदर्श दस्तावेजात् प्रदर्श–9ए से प्रदर्श–3ए तथा प्रदर्श–15ए से प्रदर्श– 16ए में मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज है। प्रदर्श–19 ाम आसरलाई के खसरा नम्बर 624 व 625 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में ांगीलाल पुत्र लाबूराम बतौर सहखातेदार दर्ज है, प्रदर्श–20 ग्राम आसरलाई के खसरा नम्बर 553 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में रतनाराम पुत्र मोडाराम तथा श्रीराम पुत्र मोडा बतौर सहखातेदार दर्ज है लेकिन लाबू पुत्र मोडा का नाम दर्ज नहीं है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मोडू पुत्र मोती कौम गुर्जर हिस्सा 1/3 की खातेदारी भूमि थी, मोडू की मृत्यु के उपरांत मोडू के स्थान पर लाबू, श्रीराम, रतनाराम पिसरान मोडा दर्ज किये गये लेकिन खसरा संख्या 553 की जमाबन्दी सम्वत् 2036–2040 में लाबू का नाम अनाधिकृत रूप से विलोपित कर दिया गया, जो वर्तमान भू अभिलेख में भी विलोपित है। लाबू के केवल दो पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 11 व 12 क्रमशः दाकुदेवी व गुटी देवी है। लाबू की पत्नी फौत हो चुकी है। तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट अनुसार वादी मांगीलाल शिवराम पुत्र मोडा का जाइन्दा पुत्र है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत एवं प्रदर्श दस्तावेजात् में वादी मांगीलाल लाबूराम का पुत्र होना अंकित है। ग्राम आसरलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के खसरा नम्बर 624 व 625 में मांगीलाल पुत्र लाबूराम बतौर सहखातेदार दर्ज है। मृतक खातेदार लाबू उर्फ लाबूराम के जाईन्दा पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रकरण में वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र लाबूराम का नाम दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में उपलब्ध एवं प्रदर्श दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आ[illegible] पुत्र मोडा की थी तथा लाबू की जाइन्दा पुत्रीयों प्रतिवादीया संख्या [illegible] के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत करने तथा वादपत्र में अंकि[illegible] का समर्थन करने तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में वादी के पिता का [illegible] लाबूराम अंकित होने से वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी आराजी होना भलीभांति साबित होता हैं। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सरलाई की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 553 में चुंकि लाबू, श्रीराम, रतनाराम सरान मोडा का 1/3 हिस्सा निहित था जिससे प्रत्येक सहखातेदार वारिसान का स्सा 1/9 – 1/9 आता है, अतः वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम को उक्त खसरा की राजी में 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने तथा खाते में पूर्व से दर्ज हखातेदार श्रीराम पुत्र मोडा व रतनाराम पुत्र मोड़ाराम प्रत्येक का दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्सा /6 – 1/6 को संशोधित करते हुये इनके स्थान पर मांगीलाल पुत्र लाबूराम, श्रीराम त्र मोडा व रतनाराम पुत्र मोडाराम प्रत्येक का 1/9 – 1/9 हिस्सा दर्ज करवाने का ादी अधिकारी है। अतः यह विवाद्यक वादी के पक्ष में भली भांति साबित होने से ादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

। आया वादग्रस्त आराजी में वादी मांगीलाल लाबूराम का जायन्दा पुत्र नही है, न ी गोदपुत्र बाबत् दस्तावेज है। इस प्रकार वादी घोषणा व रेकर्ड दुरुस्त की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नही है?

जिम्मे प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण की है, वादी द्वारा वांदपत्र में उल्लेख किया है किं ग्राम आसरलाई की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 624 व 625, 770 से 784, 560/1 तथा 553 वादी की पैतृक पुश्तैनी आराजी है तथा वादी के पिता लाबू उर्फ लाबूराम के मृत्यु उपरांत भरे गये फौतेदगी नामान्तरण संख्या 998 एवं 999 से लाबूराम के वारिसान के रूप में सहवन से मांगू पुत्र लाबू, मॉगूराम पुत्र लाबू तथा मांगू पुत्र लालू दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है, वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र लाबूराम है। अतः उपर्युक्त खसरान के भू अभिलेख को दुरुस्त कर वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी मांगीलाल के पिता लाबूराम व प्रतिवादी संख्या एक व दो के सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो के भाई लाबू राम का एक ही पुत्र है, यानि मागू व मांगीलाल एक ही व्यक्ति है इसलिये मागूराम पुत्र लाबूराम व मांगू पुत्र लालू के स्थान पर मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 11 व 12 जो कि वादी मांगीलाल के पिता लाबुराम की पुत्रीयां है, ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि लाबू पुत्र मोडा की मृत्यु उपरांत फौतेदगी नामान्तरण संख्या 999 दर्ज करते समय सहवन से मांगीलाल की जगह मांगू पुत्र लाबू गलत दर्ज कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड में से खसरा संख्या 553 में जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक रेकर्ड मोडू उर्फ मोडा के वारिसान के रूप में लाबु, श्रीराम, रतना पिसरान मोडा दर्ज था लेकिन नई जमाबन्दी सम्वत् 2037-2040 तैयार करते समय सहवन से विलोपित हो गया, जो वर्तमान भू राजस्व अभिलेख में भी विलोपित है। लाबू उर्फ लाबूराम फौत हो चुके है, अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गीलाल पुत्र लाबूराम का दर्ज किया जावें तथा अतः वादपत्र स्वीकार कर डिक्री या जावे।

तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा में वादपत्र का खण्डन करते हुये थन किया है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान बमुकाम आसरलाई मजमे आम विस्तृत जांच करनें पर पाया गया कि वादीं मांगीलाल पुत्र लाबूराम मृतक खातेदार ाबू का जायन्दा पुत्र नहीं है। मांगीलाल सहखातेदार शिवराम पुत्र मोडा का जायन्दा त्र है, लाबु/लालू के मात्र दो जायन्दा पुत्रियां दाखुदेवी एवं गुटकी देवी है तथा पत्नी ा स्वर्गवास हो चुका है।

तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण में लिखित रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई स्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किये है साथ ही विवाद्यक संख्या एक व दो वादी के पक्ष में नेर्णित किये जा चुके है तथा मृतक खातेदार लाबूराम की जाइन्दा पुत्रीयां प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र का समर्थन किया है तथा वादी के उनका भाई नहीं होने बाबत् कोई कथन नहीं किया है। पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन में उल्लेखित एवं वादी द्वारा प्रदर्श दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी का दस्तावेजी नाम मांगीलाल पुत्र लाबूराम है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 624 व 625, 770 से 784, 560/1 में वादी मांगीलाल लाबूराम के बतौर पुत्र लाबूराम की आराजी में बतौर उत्तराधिकारी खातेदार दर्ज है। अतः विवाद्यक भली भांति साबित नहीं होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. अन्य अनुतोष ?

उपर्युक्त पूर्व निर्णित एवं विवेचित विवाद्यक संख्या 1 से 3 के द्वारा वादपत्र, जवाबदावा, राजीनामा एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में उल्लेखित समस्त विवाद्यक विषयो को विवेचित एवं निर्णित किया जा चुका है, तथा वांछित अनुतोष के संबंध मं गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा चुका है। अतः हमारे विन्रम अभिमत में अन्य कोई विवाद्यक विषय शेष नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से यह स्पष्ट होता हैं कि ग्राम आसरलाई की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 770 से 784 की आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि मांगू पुत्र लालू तथा खसरा संख्या 560/1 की आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि मांगूराम पुत्र लाबूराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं दस्तावेजी नाम मांगीलाल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जाना तथा ग्राम आसरलाई के खसरा नम्बर 553 रकबा 3.2051 हैक्टेयर किस्म बारानी [illegible] में वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम को 1/9 हिस्सा का खातेदार अभिलेख में दर्ज किया जाना तथा पूर्व से दर्ज सहखातेदार श्रीराम पुत्र मोडा हिस्सा 1/6 तथा रतनाराम पुत्र मोडाराम हिस्सा 1/6 को संशोधित करते हुये इनका सही हिस्सा प्रत्येक का क्रमशः 1/9 – 1/9 हिस्सा दर्ज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 8, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम आसरलाई की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 770 से 784 की आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"मांगू पुत्र लालू"*** तथा खसरा संख्या 560/1 की आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"मांगूराम पुत्र लाबूराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं दस्तावेजी नाम ***"मांगीलाल पुत्र लाबूराम"*** दर्ज किया जाता है तथा ग्राम आसरलाई के खसरा नम्बर 553 रकबा 3.2051 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम को 1/9 हिस्सा का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा पूर्व से दर्ज सहखातेदार श्रीराम पुत्र मोडा एवं रतनाराम पुत्र मोडाराम प्रत्येक का दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्सा 1/6 – 1/6 को संशोधित करते हुये इसके स्थान पर प्रत्येक का सही हिस्सा क्रमशः 1/9 – 1/9 दर्ज किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/06/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

ईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
मांगीलाल पुत्र लाबुराम जाति- गुर्जर, निवासी- आसरलाई, तहसील- जैतारण जिला- पाली राज०।		1. शिवराम पुत्र मोडा 2. रतना पुत्र मोडा 3. सूजाराम पुत्र हरजीराम 4. पूनाराम पुत्र हरजीराम 5. पूसाराम पुत्र हरजीराम 6. चिमनाराम पुत्र हरजीराम 7. ओगड़राम पुत्र हरजीराम 8. चम्पादेवी पुत्री हरजीराम 9. भंवरी देवी पत्नी हरजीराम जाति गुर्जर निवासीगण आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली। 10. तहसीलदार, जैतारण। 11. दाकूदेवी पुत्री लाबुराम गुर्जर निवासी धाकला, मोहराई। 12. गुटी देवी पुत्री लाबुराम गुर्जर निवासी आनन्दपुर कालू।

मु०न० :रा०वा० स०: 31/2021

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चन्दनसिहं गोयल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम आसरलाई तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 770 से 784 की आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"मांगू पुत्र लालू"*** तथा खसरा संख्या 560/1 की आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"मांगूराम पुत्र लाबूराम"*** को [illegible] इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं दस्तावेजी नाम ***"मांगीलाल पुत्र लाबूराम"*** दर्ज किया जाता है तथा ग्राम आसरलाई के खसरा नम्बर 553 रकबा 3.2050 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में वादी मांगीलाल पुत्र लाबूराम को 1/9 हिस्सा का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा पूर्व से दर्ज सहखातेदार श्रीराम पुत्र मोडा एवं रतनाराम पुत्र मोडाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

येक का दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्सा 1/6 – 1/6 को संशोधित करते हुये इसके स्थान पर येक का सही हिस्सा क्रमशः 1/9 – 1/9 दर्ज किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां थावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल फ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–. ...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/12/2021 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

मोहर

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	11–00
स्टाम्प वकालतनामा	5–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	04–00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	11–00	मिजानः–	11–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested